सराहनीय कार्य दिनांक 30.12.2020

थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 27.10.2020 को भारत फायनेन्स कम्पनीके कलेक्शन एजेन्ट से लूट मामले का खुलाशा, 02 शातिर लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूट का सामान काला बैग, बायोमेट्रिक मशीन, चार्जर, रसीद, कस्टमर सीट, एक अपाचे मोटरसाइकिल व अवैध तमंचा व कारतूस बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.12.2020 को समय लगभग 10 बजे थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान करहा मोड़ से 200 मीटर दूर निर्माणधीन पूर्वाचंल एक्सप्रेस वे से जरिये मुखबिर की सूचना पर स्वामीनाथ भारती पुत्र मूलचन्द्र राम निवासी टेकई थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ तथा सत्यानन्द राव पुत्र वृजनाथ प्रसाद निवासी काझा थाना रानीपुर जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद तमंचा व 02 अदद जिंदा कारतूस 303 बोर, एक अदद तमंचा व 02 अदद कारतूस 12 बोर, लूट के 4700 रूपये नगद, काला बैग, लूटा हुआ बायोमेट्रिक मशीन, चार्जर, रसीद, कस्टमर सीट तथा एक अपाचे मोटरसाइकिल यूपी 54 आर 7664 बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.10.2020 को भारत फायनेन्स कम्पनी के एजेन्ट अनिल यादव द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गयी थी जिसमें बतया गया था कि मालव पुलिया के पास दो मोटरसाइकिल सवार लोग तमंचा सटाकर मेरे पैसे व एक काला बैग में फायनेन्स कम्पन्नी का समान था लूट लिये है। इस सम्बन्ध मे उक्त अभियुक्तो के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 743/20 धारा 379 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसे बाद में धारा 392 मे तरमीम किया गया था।

पूछताछ में उक्त स्वामीनाथ ने बताया कि मैने अनिल यादव जो भारत फायनेन्स कम्पन्नी का एजेन्ट है को कुछ काम बताकर अपने आयुर्वेद क्लिनिक जो लघ्घूपुर मे है पर बुलाया था तभी मैने दो साथी एक सत्यानन्द राव तथा दूसरे शिन्धम को बताया कि उक्त अनिल यादव जो कलेक्शन एजेन्ट है के पास काफी पैसे है जिसको मै मुखबिरी करूगा तुम लोग मालव पुलिया के पास लूट लेना।

इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध मु0अ0सं0 843,844/20 धारा 3/25 आयुद्य अधिनयम व उपरोक्त मुकदमें में धारा 411,420,467,419,468,471 भादवि0 की बढ़ोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1– स्वामीनाथ भारती पुत्र मूलचन्द्र राम निवासी टेकई थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।
2– सत्यानन्द राव पुत्र वृजनाथ प्रसाद निवासी काझा थाना रानीपुर जनपद मऊ।

बरामदगी–

1–एक अदद तमंचा व 02 अदद जिंदा कारतूस 303 बोर,
2–एक अदद तमंचा व 02 अदद कारतूस 12 बोर,
3–लूट के 4700 रूपये नगद, काला बैग, बायोमेट्रिक मशीन, चार्जर, रसीद, कस्टमर सीट,
4–एक अपाचे मोटरसाइकिल यूपी 54 आर 7664,

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1– प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद श्री नीरज पाठक
2– उ0नि0 हरिमोहन केसरवानी
3–उ0नि0 चन्द्रभान सिंह
4–उ0नि0 बेचन गौतम
5–आ0 राहुल यादव
6– का0 दिग्विजय
7–का0 रामप्रताप

90 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरादम 04 गिरफ्तार–

दिनांक 29.12.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **घोसी** पुलिस द्वारा करनपुर बड़राई रोड से गोवर्धन उरांव पुत्र जुब्बी उरांव निवासी बानपुर थाना सिजई जनपद गुमला झारखण्ड के कब्जे से 20 लीटर, बनिया पार से रामानंद राम पुत्र फूलचन्द्र राम निवासी दौलतपुर थाना घोसी के कब्जे से 40 लीटर, पिढ़वल मोड के पास से शम्भू नाथ पुत्र परदेशी निवासी पिढ़वल थाना घोसी के कब्जे से 20 लीटर, थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा जमुनीपुर के पास से रामकुवंर पुत्र चन्द्रदेव निवासी बन्धनपुर थाना मधुबन जनपद मऊ के कब्जे से 10 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सम्बन्धित पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 21 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 30.12.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा सुनील, जितेन्द्र निवासीगण नवापुरा कस्बा घोसी थाना घोसी, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा हरेन्द्र यादव निवासी कडौरा, रामसकल, सतीराम निवासी तरवाडीह, नन्दलाल निवासी जमालपुर, संतोष, विनोद निवासी पहसा, रामकृपाल, संजीव निवासी नसीराबाद कला थाना हलधरपुर, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा पिन्टु राजभर, कन्हैया निवासी सोनवरसा थाना दक्षिणटोला, जोगेन्द्र राजभर निवासी मालव थाना मुहम्मदाबाद, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा अजय कुमार निवासी मित्तनपुर, गोलू, राहुल, प्रमोद, विजय कुमार निवासीगण खीरीकोठा थाना मधुबन, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा शाहआलम निवासी कस्बा खास घोसी, छोटेलाल, हरेन्द्र मौर्या निवासीगण हासापुर किरकिट थाना घोसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।